भारत सरकार
खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय
लोक सभा
अतारांकित प्रश्न सं. †3375
12 मार्च, 2026 को उत्तर देने के लिए

उत्तराखंड में खाद्य प्रसंस्करण इकाइयां

†3375. श्री त्रिवेन्द्र सिंह रावतः

क्या **खाद्य प्रसंस्करण उद्योग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) क्या सरकार ने खाद्य प्रसंस्करण उद्योगों को उनके कारोबार और रोजगार सृजन क्षमता के आधार पर वर्गीकृत किया है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;
(ख) क्या आकांक्षी जिलों विशेषकर हरिद्वार में सूक्ष्म, लघु और मध्यम खाद्य प्रसंस्करण इकाइयों के विकास के लिए कोई विशेष योजना कार्यान्वित की जा रही है अथवा कार्यान्वित किए जाने का विचार है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;
(ग) क्या किसी अध्ययन के आधार पर उत्तराखंड के हरिद्वार और उधम सिंह नगर जिलों के लिए सबसे उपयुक्त प्रकार की खाद्य प्रसंस्करण इकाइयों की पहचान की गई है और इन दोनों जिलों में ऐसी इकाइयों की स्थापना के लिए वर्तमान में क्या योजनाएं और राजसहायता उपलब्ध हैं और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और
(घ) केन्द्र सरकार की सहायता से इन दोनों जिलों में अब तक कितनी खाद्य प्रसंस्करण इकाइयों ने उत्पादन शुरू कर दिया है?

उत्तर

खाद्य प्रसंस्करण उद्योग राज्य मंत्री
(श्री रवनीत सिंह)

(क): स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय के अधीन भारतीय खाद्य सुरक्षा एवं मानक प्राधिकरण (एफएसएसएआई) खाद्य सुरक्षा एवं मानक (खाद्य व्यवसायों का लाइसेंस एवं पंजीकरण) विनियम , 2011 के अनुसार खाद्य व्यवसायों को लाइसेंस/पंजीकरण जारी करता है। एफएसएसएआई ने दिनांक 05.03.2012 के आदेश के अनुसार खाद्य व्यवसाय संचालकों को वर्गीकृत किया है और इसका विवरण **अनुबंध** में दिया गया है।

इसके अतिरिक्त, सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम मंत्रालय द्वारा जारी अधिसूचना दिनांक 21 मार्च, 2025 के अनुसार, किसी उद्यम को निम्नलिखित मानदंडों के आधार पर सूक्ष्म, लघु या मध्यम उद्यम के रूप में वर्गीकृत किया गया है, अर्थात्:-

(i) एक सूक्ष्म उद्यम, जहां संयंत्र और मशीनरी या उपकरण में निवेश दो करोड़ पचास लाख रुपये से अधिक नहीं है और टर्नओवर दस करोड़ रुपये से अधिक नहीं है;
(ii) एक लघु उद्यम, जहाँ संयंत्र और मशीनरी या उपकरण में निवेश पच्चीस करोड़ रुपये से अधिक नहीं है और टर्नओवर एक सौ करोड़ रुपये से अधिक नहीं है; और
(iii) एक मध्यम उद्यम, जहाँ संयंत्र और मशीनरी या उपकरण में निवेश एक सौ पच्चीस करोड़ रुपये से अधिक नहीं है और टर्नओवर पाँच सौ करोड़ रुपये से अधिक नहीं है।

(ख) से (घ): खाद्य प्रसंस्करण उद्योगों के समग्र विकास को बढ़ावा देने और सुनिश्चित करने के लिए, खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय (एमओएफपीआई) आकांक्षी जिलों और उत्तराखंड के हरिद्वार और उधम सिंह नगर सहित पूरे देश में अपनी दो केंद्रीय क्षेत्र योजनाओं, अर्थात् प्रधानमंत्री किसान संपदा योजना (पीएमकेएसवाई),

खाद्य प्रसंस्करण उद्योग के लिए उत्पादन-लिंक्ड प्रोत्साहन योजना (पीएलआईएसएफपीआई) और केंद्र प्रायोजित सूक्ष्म खाद्य प्रसंस्करण उद्यम उन्नयन (पीएमएफएमई) योजना के माध्यम से संबंधित अवसंरचना की स्थापना/विस्तार को प्रोत्साहित कर रहा है। ये योजनाएं किसी क्षेत्र या राज्य विशेष के लिए नहीं बल्कि मांग-आधारित हैं।

सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम (एमएसएमई) भी एमओएफपीआई द्वारा कार्यान्वित योजनाओं के अंतर्गत सहायता के पात्र हैं। मध्यम एवं लघु परियोजनाओं के उद्यमियों तथा आकांक्षी जिलों के उद्यमियों को प्रोत्साहित करने के लिए पीएमकेएसवाई की घटक योजना दिशानिर्देशों में निम्नलिखित अधिमान्य प्रावधान किए गए हैं:

(i) पात्र परियोजना लागत से संबंधित अंकन मानदंड हटा दिया गया है (पहले उच्च पात्र परियोजना लागत वाली परियोजनाओं को उच्च अंक प्राप्त करने का लाभ मिलता था जो मध्यम और लघु पैमाने की परियोजनाओं के लिए प्रतिकूल था)।

(ii) नई संस्थाओं की भागीदारी बढ़ाने के लिए संस्था के टर्नओवर के संबंध में अंकन मानदंड हटा दिया गया है।

(iii) नीति आयोग द्वारा अधिसूचित आकांक्षी जिलों में प्रस्तावित परियोजनाओं के लिए पांच अंक दिए जाते हैं ।

(iv) अनुसूचित वाणिज्यिक बैंकों के अतिरिक्त स्माल इंडस्ट्रीज़ डेव्लपमेंट बैंक ऑफ इंडिया (सिडबी) से परियोजना मूल्यांकन की अनुमति दी गई है ताकि एमएसएमई की भागीदारी को प्रोत्साहित किया जा सके।

एमओएफपीआई ने उत्तराखंड में हरिद्वार और उधम सिंह नगर में निम्नलिखित परियोजनाओं को मंजूरी दी है-

(i) पीएमकेएसवाई- हरिद्वार जिले में 114.19 करोड़ रुपये के स्वीकृत अनुदान के साथ 10 परियोजनाएं, जिनमें से 8 परियोजनाएं चालू हैं और उधम सिंह नगर जिले में 303.44 करोड़ रुपये के स्वीकृत अनुदान के साथ 39 परियोजनाएं, जिनमें से 35 परियोजनाएं चालू हैं।

(ii) पीएलआईएसएफपीआई- उधम सिंह नगर जिले में 116.05 करोड़ रुपये के प्रतिबद्ध निवेश के साथ 7 स्थानों पर खाद्य प्रसंस्करण परियोजनाएं और सभी परियोजनाएं चालू हैं।

(iii) पीएमएफएमई- हरिद्वार और उधम सिंह नगर ज़िले में 44 और 87 सूक्ष्म खाद्य प्रसंस्करण उद्यमों के लिए क्रमश: 1.98 करोड़ रुपये और 4.19 करोड़ रुपये की सब्सिडी के साथ ऋण मंज़ूर किए गए हैं ।

*****

अनुबंध

दिनांक 12 मार्च, 2026 को उत्तर हेतु "उत्तराखंड में खाद्य प्रसंस्करण इकाइयाँ" के संबंध में लोक सभा के अतारांकित प्रश्न संख्या 3375 के भाग (क) के उत्तर में संदर्भित अनुबंध

<u>लाइसेंसिंग/पंजीकरण</u>

क्र. सं.	**खाद्य प्रसंस्करण इकाइयाँ**	**केंद्रीय लाइसेंसिंग** [खाद्य सुरक्षा एवं मानक (खाद्य व्यवसायों का लाइसेंस एवं पंजीकरण) विनियम 2011 , अनुसूची I, विनियम 2.I.2(3)]	**राज्य लाइसेंसिंग**	**पंजीकरण** [खाद्य सुरक्षा एवं मानक (खाद्य व्यवसायों का लाइसेंस एवं पंजीकरण) विनियम 2011; विनियम 1.2.1(4बी)]
I	डेयरी इकाइयाँ जिनमें शामिल हैं दूध द्रुतशीतन इकाइयाँ जो संभालना या प्रक्रिया के लिए सुसज्जित हैं	प्रतिदिन 50,000 लीटर से अधिक तरल दूध या 2500 मीट्रिक टन दूध ठोस पदार्थ प्रति वर्ष	500 लीटर से अधिक प्रतिदिन 50,000 लीटर तक दूध	500 लीटर तक प्रतिदिन
II	वनस्पति तेल प्रसंस्करण इकाइयाँ और विलायक निष्कर्षण प्रक्रिया द्वारा वनस्पति तेल उत्पादन करने वाली इकाइयाँ और तेल निक्षेपक इकाई सहित रिफाइनरियाँ	2 मीट्रिक टन प्रतिदिन से अधिक ।	प्रतिदिन 2 मीट्रिक टन तक और 12 लाख रुपये प्रति वर्ष से अधिक का टर्नओवर ।	12 लाख/वर्ष तक का टर्नओवर
III	स्लौटेरींग इकाइयां	बड़े जानवर : 50 से अधिक बड़े जानवर छोटे जानवर जिनमे भेड़ और बकरियां शामिल है : 150 या अधिक मुर्गी पालन: प्रतिदिन 1000 या अधिक	बड़े जानवर: 2 से अधिक 50 तक छोटे जानवर: 10 से अधिक 150 तक मुर्गी पालन: 50 से अधिक 1000 प्रति दिन	बड़े जानवर: अधिकतम 2 छोटे जानवर: अधिकतम 10 मुर्गी पालन: अधिकतम 50 प्रति दिन
IV	मांस प्रसंस्करण इकाइयाँ	प्रतिदिन 500 किलोग्राम से अधिक मांस या प्रति वर्ष 150 मीट्रिक टन	प्रतिदिन 500 किलोग्राम तक मांस या प्रति वर्ष 150 मीट्रिक टन	12 लाख रुपये प्रति वर्ष तक का टर्नओवर
V	ऊपर उल्लिखित इकाइयों के अलावा सभी खाद्य	अनाज को छोड़कर 2 मीट्रिक	100 किलोग्राम/1 ट्रिलियन से अधिक	जिसका टर्नओवर 12 लाख रुपये से अधिक

	प्रसंस्करण इकाइयाँ, जिनमें रीलेबलर और रीपैकर भी शामिल हैं।	टन/दिन से अधिक, अनाज और दालों की पिसाई इकाइयाँ	2 मीट्रिक टन/दिन तक। सभी प्रकार के अनाज, दालें और दालों की पिसाई इकाइयाँ।	न हो और जिसकी उत्पादन क्षमता 100 किग्रा/लीटर प्रति दिन से अधिक न हो
VI	100 % निर्यात उन्मुखी इकाइयों	सभी		
VII	खाद्य पदार्थों का आयात करने वाले आयातक, जिनमें खाद्य सामग्री और योजक शामिल हैं, वाणिज्यिक उपयोग के लिए	सभी		
VIII	खाद्य व्यवसाय संचालक जो किसी भी खाद्य पदार्थ का निर्माण करते हैं, जिसमें ऐसे तत्व या सामग्रियां हों या ऐसी तकनीकें या प्रक्रियाएं या उनका संयोजन उपयोग किया जाता हो जिनकी सुरक्षा इन विनियमों के माध्यम से स्थापित नहीं की गई हो या जिनका सुरक्षित उपयोग का कोई इतिहास न हो, या ऐसे खाद्य पदार्थ जिनमें ऐसे तत्व हों जिन्हें पहली बार देश में पेश किया जा रहा हो। (उन्हें **लाइसेंस के लिए आवेदन करने से पहले एफएसएसएआई (मुख्यालय) में उत्पाद स्वीकृति के लिए अलग से आवेदन करना होगा।)**	सभी		
IX	खाद्य व्यवसाय संचालक	दो या अधिक राज्यों मे चालू		
	क) भंडारण (जमे हुए के अलावा)	50,000 मीट्रिक टन क्षमता से अधिक	50,000 मीट्रिक टन क्षमता तक	12 लाख/वर्ष तक का टर्नओवर
	ख) भंडारण (जमे हुए) भंडारण(जमे हुए) +सीए)	10,000 मीट्रिक टन क्षमता से अधिक 1,000 मीट्रिक टन क्षमता से अधिक	10,000 मीट्रिक टन क्षमता तक 1,000 मीट्रिक टन क्षमता तक	12 लाख/वर्ष तक का टर्नओवर
	ग) थोक विक्रेता	30 करोड़ से अधिक का टर्नओवर ।	30 करोड़ तक का टर्नओवर	12 लाख/वर्ष तक का टर्नओवर
	घ) खुदरा व्यापारी	20 करोड़ से अधिक का टर्नओवर	20 करोड़ तक का टर्नओवर	12 लाख/वर्ष तक का टर्नओवर
	ङ) वितरणकर्ता	20 करोड़ से अधिक का टर्नओवर	20 करोड़ तक का टर्नओवर	12 लाख/वर्ष तक का टर्नओवर

	च) पूर्तिकार	20 करोड़ से अधिक का टर्नओवर	20 करोड़ तक का टर्नओवर	12 लाख/वर्ष तक का टर्नओवर
	छ) केटरर	20 करोड़ से अधिक का टर्नओवर	20 करोड़ तक का टर्नओवर	------ -
	ज) ढाबा या कोई अन्य भोजन विक्रेता स्थापना	---- -	12 लाख/ वर्ष से ऊपर का टर्नओवर	12 लाख/वर्ष तक का टर्नओवर
	झ) क्लब/कैंटीन		कारोबार 12 लाख/ वर्ष से ऊपर	12 लाख/वर्ष तक का टर्नओवर
	ञ) होटल	पाँच सितारा और ऊपर	चार सितारा तक	12 लाख/वर्ष तक का टर्नओवर
	ट) रेस्टोरेंट	20 करोड़ से अधिक टर्नओवर	20 करोड़ तक का टर्नओवर	12 लाख/वर्ष तक का टर्नओवर
	ठ) खाद्य परिवहनकर्ता (जिसमें कई विशिष्ट वाहन हों जैसे कि इन्सुलेटेड रेफ्रिजरेटेड वैन/वैगन, दूध टैंकर आदि)	जिनके पास 100 से अधिक वाहन/वैगन हों या जिनका टर्नओवर 30 करोड़ से अधिक हो।	अधिकतम 100 वाहन/वैगन या 30 करोड़ रुपये तक का टर्नओवर ।	12 लाख/वर्ष तक का टर्नओवर
	ड) खाद्य सामग्री	20 करोड़ से अधिक टर्नओवर	20 करोड़ तक का टर्नओवर	12 लाख/वर्ष तक का टर्नओवर
	ढ) मार्केटर	20 करोड़ से अधिक टर्नओवर	20 करोड़ तक का टर्नओवर	12 लाख/वर्ष तक का टर्नओवर
X	केंद्रीय सरकारी एजेंसियों जैसे रेल, वायु और हवाई अड्डा, बंदरगाह, रक्षा आदि के अंतर्गत आने वाले प्रतिष्ठानों और इकाइयों में खाद्य खानपान सेवाएं।	सभी		

*उत्पाद की स्वीकृति के बाद, ऊपर दिए गए कॉलम में उल्लिखित उत्पादन/संचालन आदि की क्षमता के अनुसार सक्षम प्राधिकारी द्वारा लाइसेंस जारी किया जाएगा।

**प्रत्येक स्थान के लिए अलग-अलग लाइसेंस जारी किए जाएंगे (ट्रांसपोर्टर को छोड़कर, जहां एक ही ट्रांसपोर्टर/व्यवसाय के सभी वाहनों के लिए एक ही लाइसेंस जारी किया जाएगा)। यदि एफबीओ दो से अधिक राज्यों में कार्यरत है, तो उसे प्रधान कार्यालय/पंजीकृत कार्यालय के लिए एक अतिरिक्त केंद्रीय लाइसेंस और क्षमता/टर्नओवर के अनुसार प्रत्येक स्थान के लिए अलग-अलग लाइसेंस (राज्य/केंद्रीय लाइसेंस) प्राप्त करना होगा।